कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–295/एस0टी0ए0/10–106/2015 दिनांक 22 जनवरी, 2015

प्रेस विज्ञप्ति

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कम्पनियों यथा–मैसर्स ओला (OLA), उबर (UBER), Taxi for sure आदि द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न नगरों में "Cab Booking Through mobile Application" के माध्यम से टैक्सी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य में अभी तक रेडियो टैक्सी योजना अथवा इण्टरनेट/मोबाईल के माध्यम से टैक्सी कैब बुकिंग की योजना लागू नहीं की गयी है। अतः योजना के अभाव में उपरोक्त कम्पनियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा अवैध है और यदि कोई वाहन स्वामी इस प्रकार की Aggregator कम्पनी में अपने वाहन को रेडियो टैक्सी/इन्टरनेट बुकिंग/ मोबाईल बुकिंग हेतु योजित करता है, तो वह परमिट शर्तों के विपरीत होगा, जिसके कारण संबंधित वाहन स्वामी का परमिट, फिटनेस, पंजीयन के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे वाहनों के दुर्घटना होने की स्थिति में परमिट शर्तों के विरूद्ध संचालन के कारण संबंधित वाहन दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को उत्तराखण्ड दुर्घटना राहत निधि से आर्थिक सहायता भी देय नहीं होगी।

राज्य में इस प्रकार के वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गयी है तथा राज्य के समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। यह भी अवगत कराना है कि राज्य में रेडियो टैक्सी/इन्टरनेट बुकिंग/मोबाईल बुकिंग हेतु योजना लागू किये जाने के संबंध में विभिन्न परिवहन कम्पनियों के पदाधिकारियों से वार्ता कर उनके सुझाव प्राप्त किये गये हैं तथा समस्त पहलुओं यथा–जन सुरक्षा, चालक वैरीफिकेशन, वाहन ट्रैकिंग आदि पर सम्यक् विचारोपरान्त योजना राज्य में लागू की जायेगी।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।